# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

**प्रार्थना—पत्र संख्या 94 / 2022**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| प्राधिकृत अधिकारी एस आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड उदयपुर। | | 1. श्री संग्रामाराम पुत्र श्री भानाराम जाति रेबारी निवासी 82 रेबारियों का वास, वार्ड सं. 7 आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।<br>2. श्रीमती हंजादेवी पत्नि श्री संग्रामाराम जाति रेबारी निवासी 82 रेबारियों का वास, वार्ड सं. 7 आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।<br>3. श्री लादाराम पुत्र श्री संग्रामाराम जाति रेबारी निवासी 82 रेबारियों का वास, वार्ड सं. 7 आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।<br>4. श्री कानाराम पुत्र श्री संग्रामाराम जाति रेबारी निवासी रेबारियों का वास, पुराना जोगोडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।<br>5. श्री सनराम पुत्र श्री सेमेलाराम निवासी रेबारियों का वास आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही। |

**प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002**

उपस्थिति :—

1. श्री चन्दनसिंह अधिवक्ता, प्रार्थी बैंक ।

## निर्णय

दिनांक : 17.11.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:02 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री संग्रामाराम पुत्र श्री भानाराम जाति रेबारी निवासी 82 रेबारियों का वास, वार्ड सं. 7 आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्रीमती हंजादेवी पत्नि श्री संग्रामाराम जाति रेबारी निवासी 82 रेबारियों का वास, वार्ड सं. 7 आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
3. श्री लादाराम पुत्र श्री संग्रामाराम जाति रेबारी निवासी 82 रेबारियों का वास, वार्ड सं. 7 आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
4. श्री कानाराम पुत्र श्री संग्रामाराम जाति रेबारी निवासी रेबारियों का वास, पुराना जोगोडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्री सनराम पुत्र श्री सेमेलाराम निवासी रेबारियों का वास आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Scanned with CamScanner

को राशि रूपये 05,00,000/– की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी । अप्रार्थी श्री संग्रामाराम पुत्र श्री मानाराम रेबारी ने अपनी जायदाद पट्टा सं. 33/2014, बुक सं. 96 मिसल सं. 01 ग्राम आलपा तहसील शिवगंज जिला सिरोही में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी माप 1034 वर्गफीट है, को बैंक/कम्पनी के पक्ष मे रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड/अखबार के माध्यम से नोटिस दिनांक 08.03.2021 को जारी किये गये, जो पंजीकृत डाक/अखबार में प्रकाशित के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयो के द्वारा बतौर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता/अधिकारी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं मे से एक उदयपुर मे भी स्थित व कार्यरत है । प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रूपये 05,00,000/– ऋण स्वीकृत किया था । जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र मे किया गया है । बहस मे कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नही करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नही किया गया । भुगतान नही करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है । अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष मे रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी । अ[illegible] राशि रूपये 05,00,000/– का ऋण लिया था । ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष मे [illegible] रखी है । प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 08.03.2021 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नही किया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:02 IST
Reason: SelfAttested

Bhalla
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Scanned with CamScanner

दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :–

14 . Chief Metropolitan Magistrate or Dis assist secured creditor in taking possession of secured the possession of any secured assets is required tc secured creditor or if any of the secured assets is requi transferred by the secured creditor under the provision secured creditor may, for the purpose of taking posse any such secured asset, request, in writing the C Magistrate or the District Magistrate within whose ju secured asset or other document, relating thereto n found to take possession thereof and the

Chief Metropolitan Magistrate or as the case m Magistrate shall, on such request being made to him –

(a) take possession of such asset and docume and

(b) forward such assets and documents to the se

(2) For the purpose of securing compliance wit sub-section (1) , the Chief Metropolitan Magistra Magistrate may be take or cause to be taken such step to be used, such force, as may, in his opinion, be nece

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ मे प्रार्थना पत्र अ सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्से आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी श्री संग्रामाराम पुत्र श्री मानाराम रेबारी ने अपनी 33/2014, बुक सं. 96 मिसल सं. 01 ग्राम आलपा तहसील में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा सम्पत्ति के अभिन्न 1034 वर्गफीट है, ... के पक्ष मे रहन कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:02 IST
Reason: SelfAttested

पडोस निम्न ...

पूर्व– श्री भानाराम/श्री अमराजी का भूखण्ड।

पश्चिम– श्री हरजीराम/श्री रावताजी का मकान।

उत्तर– आम दरवाजा व रास्ता।

दक्षिण– श्री पुनमाराम/श्री सादलाजी का मकान।

Scanned with CamScanner